न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 846–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–01–16 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील धार जिला धार प्रकरण कमांक 24/अ–6/14–15.

रेणु पति स्व. जगदीश मीणा
निवासी ग्राम नियामत खेड़ी
तहसील व जिला धार ..... आवेदिका

विरूद्ध

विजय पिता कल्याण सिंह मीणा
निवासी ग्राम नियामत खेड़ी
तहसील व जिला धार .....अनावेदक

श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदिका
श्री एम.पी. भटनागर, अभिभाषक एवं
श्री डी.आर. माहौर, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 31/11/16 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील धार जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–01–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, तहसील धार के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम नियामत खेड़ी स्थित सर्वे कमांक 72/2 रकबा 1.012 हेक्टेयर भूमि पर गंगाबाई के स्थान पर नामांतरण चाहा गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 24/अ–6/14–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदिका द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार वाद प्रचलित है, अतः तहसील न्यायालय में प्रचलित प्रकरण की कार्यवाही स्थगित की जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 22–1–16 को आदेश पारित कर आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार वाद प्रचलित है, अतः व्यवहार न्यायालय से प्रकरण के निराकरण तक तहसीलदार को उनके समक्ष प्रचलित प्रकरण में कार्यवाही स्थगित करना चाहिए थी, परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व न्यायालय द्वारा अनेक न्याय दृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं कि व्यवहार न्यायालय में कार्यवाही प्रचलित रहने पर राजस्व न्यायालयों को कार्यवाही स्थगित करना चाहिए । अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

3/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा तहसील न्यायालय की कार्यवाही स्थगित रखे जाने के संबंध में कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है, और जब तक वरिष्ठ न्यायालय से अथवा व्यवहार न्यायालय से स्थगन न हो, तब तक तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा

की जा रही कार्यवाही पर व्यवहार न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई स्थगन नहीं दिया गया है । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि मात्र व्यवहार न्यायालय में प्रकरण प्रचलित रहने के कारण राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील धार जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–1–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर